तत्काल / अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग

क्रमांक– प.17(1)प्राशि / आयों. / सीएमओ / 2018 जयपुर दिनांक– 27.12.2018

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान–बीकानेर।

विषय – आर.टी.ई. नार्म्स के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत समन्वित किये गये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की समीक्षा के संबंध में।
संदर्भ – शासन सचिव महोदय,स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 24.12.2018 को दिये गये निर्देशों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा में सुधार एवं गुणात्मक शिक्षा के लिए राज्य सरकार की बजट घोषणा के क्रम में सत्र 2014–15 से 2017–18 तक 3717 विद्यालयों को आर.टी.ई. नार्म्स के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों को 1 किलोमीटर की दूरी तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 2 किलोमीटर की दूरी पर न्यून नामांकन वाले प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों को समीपस्थ स्थित अन्य विद्यालयों में समन्वित किया गया था।

निर्देशानुसार समन्वित किये गये विद्यालयो की समीक्षा निम्न आधार पर कर प्रस्ताव राज्य सरकार को दिनांक 10.1.2019 तक भिजवाये जावें–

1. आर.टी.ई. नार्म्स के मानदण्डानुसार 1 किलोमीटर की दूरी में प्राथमिक विद्यालय एवं 2 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय, होना आवश्यक है। यदि उक्त प्रावधान के विपरीत कोई विद्यालय समन्वित किया गया है, तो विद्यालयों पुनः यथावत संचालित करने हेतु चिन्हित कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जावें।
2. जनजाति एवं दुर्गम क्षेत्र जिनमें एक ही राजस्व ग्राम में अन्य विद्यालयों को समन्वित करते हुये आदर्श विद्यालय गठित किये गये परन्तु दोनो विद्यालयों के मध्य

www.rajteachers.com

O/C
जारी 27/12/18

जंगल,पहाडी, राष्ट्रीय राज मार्ग, रेल्वे लाईन, नदी एवं बरसाती नाले आदि होने की स्थिति में हो तो विद्यालयों को पुनः यथावत संचालित करने हेतु चिन्हित कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जावें।

3.भामाशाहो द्वारा निर्मित कराये विद्यालय भवन जिनमें पर्याप्त आधारभूत सुविधाऐं (कमरे आदि) है एवं समय–समय पर भामाशाहों/दानदाताओं द्वारा विकास कार्य हेतु सहयोग किया जाता है तथा स्थानीय मांग है तो विद्यालयों को पुनः यथावत संचालित करने हेतु चिन्हित कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जावें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का श्रम करें

भवदीया,

(ज्योति चौहान)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1.निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
2.निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3.संयुक्त निदेशक, शिक्षा, समस्त संभाग...को दी जाकर लेख है कि पत्र में दिये निर्देशानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें।
4.रक्षित पत्रावली।

(एस.एन.यादव)
अनुसंधान अधिकारी

www.rajteachers.com

O/O जारी 28/12/18

Vasu Sharma प.17(1)/सीएमओ/2018पार्ट